



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 श्रावण 1945 (श10)

(सं0 पटना 687) पटना, शुक्रवार, 18 अगस्त 2023

परिवहन विभाग

अधिसूचना

18 अगस्त 2023

सं० 02/ई0 परिवहन-12/2023-6506/परि०—मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा-200 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए Hand Held Device के माध्यम से शमन किये जाने हेतु धारा-184 में निर्धारित शमन की राशि को इस धारा के अन्तर्गत निर्धारित प्रयोजनों के लिए निम्नरूप से निर्धारित किया जाता है :-

क्र० सं०	प्रयोजन	वाहन का प्रकार	शमन की राशि
(क)	लाल बत्ती को पार करना	दो पहिया वाहन	₹ 1,000 /-
		तीन पहिया वाहन	₹ 2,000 /-
		चार पहिया वाहन (छोटा वाहन)	₹ 3,000 /-
		मध्यम वाहन	₹ 4,000 /-
		भारी वाहन (सभी प्रकार के)	₹ 5,000 /-
(ख)	स्टॉप साईन का उल्लंघन	दो पहिया वाहन	₹ 1,000 /-
		तीन पहिया वाहन	₹ 2,000 /-
		चार पहिया वाहन (छोटा वाहन)	₹ 3,000 /-
		मध्यम वाहन	₹ 4,000 /-
		भारी वाहन (सभी प्रकार के)	₹ 5,000 /-
(ग)	वाहन चलाते समय मोबाईल का प्रयोग	सभी प्रकार के वाहनों के लिए	₹ 5,000 /-
(घ)	विधि के विरुद्ध किसी रीति में अन्य यानों के पास से गुजरना या उनसे आगे निकलना;	सभी प्रकार के वाहनों के लिए	₹ 5,000 /-

क्र० सं०	प्रयोजन	वाहन का प्रकार	शमन की राशि
(ड)	यातायात के प्राधिकृत प्रवाह के विरुद्ध चालन करना;	दो पहिया वाहन	₹ 1,000 / -
		तीन पहिया वाहन	₹ 2,000 / -
		चार पहिया वाहन (छोटा वाहन)	₹ 3,000 / -
		मध्यम वाहन	₹ 4,000 / -
		भारी वाहन (सभी प्रकार के)	₹ 5,000 / -
(च)	किसी ऐसी रीति में गाड़ी चलाना, जो उससे बहुत कम है, जिसकी किसी सक्षम और सावधान चालक से अपेक्षा की जाएगी और जहाँ किसी सक्षम और सावधान चालक को यह स्पष्ट होगा कि उस रीति में गाड़ी चलाना खतरनाक होगा, से ऐसी रीति में चलाना, जो पब्लिक के लिए खतरनाक हैं, अभिप्रेत होगा।	सभी प्रकार के वाहनों के लिए	₹ 5,000 / -

2. यह अधिसूचना बिहार गजट में इसके प्रकाशन की तिथि से 05 कार्यदिवस के पश्चात प्रभावी होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार अग्रवाल,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 687-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>